

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक द्वारा नहीं करनी है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) दशोक्त नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

लकाज सिड्डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक ६३३ दिनांक १८/१२/२०२०

माथी दिनेश करण मथुर डा० जी असकारण मथुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९

धारा १९४ (१) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये १११६३/- जमा

जरिये रसीद संख्या १६६१/५६३५, ५६३-६

दिनांक १८/१२/२०२० को जमा करा दी है ।

p.No: 15 के परिपालकी
राउंमिज बोर्ड

१०/१२/२०२०

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

(Chinesh Karan Mathur)

98252 97639

जी+1
आवासीय